प्रेस नोट-

थाना एरच, झाँसी

दिनाँक 13.09.2025

- **थाना एरच पर आबकारी अधिनियम के 504 अभियोगों में बरामद करीब 35,000 लीटर अवैध शराब का किया गया विनष्टीकरण-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में ऑपरेशन क्लीन के क्रम में आज दिनांक 13.09.2025 को थाना एरच पर आबकारी अधिनियम के कुल 504 अभियोगों में बरामद करीब 35,000 लीटर अवैध शराब का विनष्टीकरण किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

थाना एरच पर आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित दाखिल माल/अवैध शराब के विनिष्टीकरण की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0 गरौठा, झाँसी से पत्राचार करते हुए अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 से 2024 तक के आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 504 अभियोगों में लगभग 35,000 लीटर अवैध शराब को नष्ट करने हेतु आदेश प्रदान किया गया।

माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुये आज दिनाँक 13.09.2025 को थाना स्थानीय के मालखाना में दाखिल आबकारी अधिनियम के 504 अभियोगों से सम्बन्धित करीब 35,000 लीटर अवैध शराब का नियमानुसार वीडियोग्राफी व पंचनामा करते हुये 1. सुश्री आसमा वकार, क्षेत्राधिकारी गरौठा, जनपद झाँसी 2. श्री रामदत्त, नायब तहसीलदार, बामौर क्षेत्र गरौठा, जनपद झाँसी 3. सुश्री सोनीबाला जायसवाल, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र- 4 गरौठा, जनपद झाँसी 4. सुश्री दीपशिखा सिंह, थाना प्रभारी/पुलिस उपाधीक्षक, थाना एरच, जनपद झाँसी 5. वरिष्ठ उ0नि0 डॉ0 उदयप्रताप सिंह, थाना एरच, झाँसी 6. हे0मु0 58 अखिलेश कुमार (मालखाना इंचार्ज) व थाना स्थानीय पर नियुक्त अन्य पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन के अन्दर पर्याप्त गड्ढा खोदकर विनष्टीकरण किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान पर्यावरण का पूर्ण ध्यान रखा गया।

विनष्ट किये गये माल का विवरण- 504 अभियोग से सम्बन्धित लगभग 35,000 लीटर अवैध शराब

विनष्टीकरण कार्यवाही के दौरान उपस्थित टीम का विवरण-

1. सुश्री आसमा वकार, क्षेत्राधिकारी गरौठा, जनपद झाँसी
2. श्री रामदत्त, नायब तहसीलदार बामौर क्षेत्र गरौठा, जनपद झाँसी
3. सुश्री सोनीबाला जायसवाल, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र – 4 गरौठा, जनपद झाँसी
4. सुश्री दीपशिखा सिंह, थाना प्रभारी/पु0उपा0 थाना एरच, झाँसी
5. वरिष्ठ उ0नि0 डॉ0 उदयप्रताप सिंह, थाना एरच, जनपद झाँसी
6. हे0मु0 58 अखिलेशकुमार, मालखाना इंचार्ज, थाना एरच , जनपद झाँसी